न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 128/2011

श्रीमती हगामी पुत्री श्री तेजा जी जाति रावत आयु बालिग निवासी सालरमाला तहसील मसूदा जिला अजमेर (राजस्थान)

.....वादिया

बनाम

1. श्रीमती धन्नी देवी पत्नि श्री देवीसिंह जी जाति रावत आयु बालिग
2. श्री पदमसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जी जाति रावत आयु बालिग
3. श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जी जाति रावत आयु बालिग
4. श्री शंकर सिंह पुत्र श्री देवीसिंह जी जाति रावत आयु बालिग
5. श्री लाडूसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जी जाति रावत आयु बालिग
   समस्त जाति रावत आयु बालिग निवासियान नयागांव शेखावास तहसील भीम जिला राजसमन्द (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मसूदा जिला अजमेर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी जो वादपत्र सं. 128/11 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर प्रस्तुत हुआ है।

आदेश दिनांक 31.07.2019

प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी वास्ते खारिज करने दावा का प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि प्रकरण में वादी हगामी के पिता तेजसिंह उर्फ तेजा ने उपरोक्त वर्णित भूमि रजि0 बेचाननामा दिनांक 26.03.1980 को भूमि खसरा संख्या 34, 35 व 40 कुल रकबा 23–17–10 बेचान कर दिया था, तब से उपरोक्त भूमि के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण चले आ रहे हैं और स्व. देवीसिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान हम प्रतिवादीगण वारिसान काबिज चले आ रहे हैं। उक्त भूमि बाबत् वादी द्वारा सिविल न्यायाधीश ब्यावर के समक्ष दीवानी वाद संख्या 96/2009 श्रीमती फेफी (हगामी) बनाम देवीसिंह व अन्य कर रखा है, इसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 4 जुलाई 2018 है, इस कारण उक्त राजस्व वाद चलने योग्य नहीं है एवं रेसज्युडिकेटा के तहत खारिज़ किये जाने योग्य है। इस राजस्व न्यायालय को पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 26.03.1980 को निरस्त करने का अधिकार नहीं है, इस कारण धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खारिज़ किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने व सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज़ किये जाने के आदेश फरमावें।

वादिया की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कथन की दिनांक 26.063.1980 को तेजसिंह द्वारा उक्त रकबा का बेचान करने का तथ्य स्वीकार है जो कि उक्त बेचान तेजसिंह द्वारा किया है व बेचान को सिविल न्यायालय ब्यावर में निरस्त कराने हेतु वादिया द्वारा वाद पेश कर रखा है तथा वादिया का उक्त वाद खसरा नम्बर 35/557 गैर मुमकिन चाह बाबत् इस न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है तथा उक्त वाद रेसज्युडिकेटा के अन्तर्गत नहीं आता है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज़ करने योग्य है। वादिया ने इस न्यायालय में पंजीकृत बेचाननामा निरस्त करने का वाद पेश नहीं कर रखा है बल्कि खसरा नम्बर 35/557 गै.मु.चाह का स्थायी निषेधाज्ञा का है जिससे प्रतिवादी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय खरचे खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई जिनके कथन उनके प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे।

————निरन्तर

(मोहनलाल खटनावलिया)

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रस्तुत वाद ग्राम सालरमाला पटवार हल्का हनुतिया तहसील मसूदा जिला अजमेर में स्थित आराजी नम्बर 35 रकबा 15–10–00 में स्थित एक चाह आराजी नम्बर 35/557 रकबा 00–02–10 वादिया के पिता वल्दर जग्गा के नाम दर्ज था जो विरासत से वादिया को प्राप्त होना अंकित है तथा वादपत्र उक्त खसरा की राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व नक्शे अमल दरामद किये जाने तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बाबत् प्रस्तुत किया है। विपक्षीगण ने अपने जवाब व काउन्टर प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा संख्या 35 रकबा 15–10–00 तथा उसी का एक हिस्सा 35/557 रकबा 00–02–10 बना है जो चाह है जिससे प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। तेजा को रूपयो की आवश्यकता होने से उक्त भूमि व खुदे हुए उक्त कुए व अन्य आराजियात को दिनांक 28.01.1980 को विक्रय कत्तई करते हुए मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। बेचान कर दिये जाने से प्रार्थिया का भी कोई हक अधिकार नहीं रहने के कथन किए है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 28 जनवरी 1980 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें विक्रेता श्री तेजा वल्द जग्गाजी जाति रावत निवासी सालरमाला द्वारा अन्य खसरा नम्बरान् के साथ खसरा नम्बर 35 रकबा 15–10–00 पूरी आराजियात तथा नए खुदाए कुए पूरा का मालिकाना हक जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामें के श्री देवीसिंह वल्द गूदड़ सिंह जाति रावत राजपूत निवासी नया गांव (शेखावास) को विक्रय किया जाना अंकित है। प्रतिवादी ने अपने इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत एक अन्य वाद जो सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के संबंध मे वाद संख्या 69/2009 उनवान श्रीमती फेफी बनाम देवीसिंह वगैरह की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें उक्त बेचाननामें को निरस्त किये जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। उक्त वाद वर्ष 2009 से ही माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जिसे वादिया स्वयं ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है एवं मुख्य अनुतोष बेचाननामें को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब तक उक्त पंजीकृत बेचाननामा निरस्त नहीं हो जाता है, तब तक वादिया के उक्त वादग्रस्त भूमियों पर किसी प्रकार के हक, स्वत्व व अधिकार नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक अन्य वाद वर्ष 2011 में इस न्यायालय में उन्हीं खसरान् को लेकर प्रस्तुत किया गया है जो बार्ड बाई लॉ है क्योंकि माननीय सिविल न्यायालय के अनुतोष के आधार पर ही गुणावगुण पर वादिया का मालिकाना हक तय किया जाना है, तब तक वादिया उक्त भूमियों में किसी प्रकार का कोई अधिकार अथवा अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं पाई जाती है। अतः प्रकरण बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज़ योग्य है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादिया का वाद इसी स्तर पर खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.13 17:28:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: